भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 24*

21 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय आयुष मिशन

*24. श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;
(ख) इसके अंतर्गत सुदृढ़ की गई संस्थाओं और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कर्मचारियों की कमी होने की पहचान की गई है; और
(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

राज्य सभा में 21 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 24* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय की समग्र योजनाओं के अधीन सात (7) केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा वर्ष 2025 में किया गया है। हाल ही में 29 जून, 2026 से 1 जुलाई, 2026 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियो के साथ एनएएम के अंतर्गत अवसंरचना विकास, सेवा प्रदायगी, मानव संसाधन, डिजिटल एकीकरण, औषधियों की आपूर्ति तथा अभिशासन तंत्र से संबंधित प्रगति का आकलन करने के लिए समीक्षा की गई। इससे पूर्व भी 1-2 मई, 2025 को आयोजित एनएएम सम्मेलन तथा सितंबर, 2025 में आयोजित "राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं राज्यों में क्षमता निर्माण" विषयक विभागीय शिखर सम्मेलन के दौरान ऐसी समीक्षाएँ की गई थीं। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत बैठकें, आवधिक समीक्षा बैठकें तथा क्षेत्रीय दौरे नियमित रूप से किए जाते हैं।

(ख): एनएएम के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार नये आयुष सुविधा केंद्रो की स्थापना के साथ-साथ मौजूदा सुविधा केंद्रो के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सहयोग प्राप्त सुविधा केंद्रो की विस्तृत स्थिति **संलग्नक** में दी गई है।

(ग) और (घ): जी हाँ । जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, देश में जनशक्ति को तैनात करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, एनएएम के तहत, 50/30/10 बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना और अन्य बातों के साथ-साथ अति विशिष्ट आयुष अस्पतालों के उन्नयन के लिए आयुष चिकित्सकों और पैरामेडिक्स की संविदात्मक तैनाती का प्रावधान है। इस संबंध में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं।

संलग्नक

(i) 12500 आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) को संचालित किया गया है।

(ii) 10/30/50 बिस्तरों वाले नए एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए 228 इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(iii) नए आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए 24 इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(iv) नई आयुष औषधालयों की स्थापना के लिए 390 इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(v) अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए आयुष अस्पतालों की 866 इकाइयां और 10225 आयुष औषधालयों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(vi) अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए 80 स्नातक और 49 स्नातकोत्तर आयुष शैक्षणिक संस्थानों को स्वीकृति प्रदान की गई है।